

फर्द अहकाम

नितेश चगै०

बनाम

रामनिवास चगै०

नय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

10 47 / 2025

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही                       | आज्ञा विस्तृत रूप से   | विशेष विवरण  |
|---|--|--|
| <p>28.04.2025</p> <p>23/5/25</p> <p>25.6.25</p> | <p>अधिवक्ता श्री रामावतार सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्त हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 1 को विवादग्रस्त भूमि का बेचान नहीं करने, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करने, निर्माण नहीं करने तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद कराने बाबत निवेदन किया।</p> <p>हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना व प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी, शपथ पत्र एवं दस्तावेज से संतुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादग्रस्त आराजी ख० नं० 1503/2 रकबा 3.4774 हे० वाकै ग्राम माच्छरखानी तह० जोबनेर जिला जयपुर राज० कि विवादग्रस्त भूमि का बेचान नहीं करे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करे, निर्माण नहीं करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखें। अप्रार्थीगण को इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो असालतन वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि० एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 23.05.2025 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अवा. नं. 1000/25 दिनांक 25/6/25 को पेश हुई।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी उप०। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को भागे नहीं</p> | <p>विशेष विवरण</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p> <p>Sir Mofpress</p> |

व्यापार का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

केस सं.

/202.....

आज्ञा विरत रूप से

क्र. सं. दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

बलाना-बाहते हैं। स्वच्छिष्ट धार्मिक पत्र Not Press करने की अनुमति प्रदान करने। अधिकांश धार्मिक विवेक पर धार्मिक पत्र Not Press की अनुमति प्रदान की जाकर धार्मिक पत्र वस्तुतः द्वारा 212 R.T.A. Not Press के माध्यम पर स्वच्छिष्ट किया गया। पर्यावली प्रेस अधिनियम क्र. 212 R.T.A. Not Press के माध्यम पर नंबर से कम खींच कर दाखिल रहते हैं।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जोधपुर, जयपुर

22/1  
उपखण्ड अधिकारी  
जोधपुर